हम मानव कानूनों का बहादुरी से मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक कानूनों का विरोध नहीं कर सकते

कानून में एक व्यक्ति दोषी होता है जब वह दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। नैतिकता में वह दोषी होता है यदि वह केवल ऐसा करने के बारे में सोचता है।

—इमैनुअल कांट

मानव कानूनों और **प्राकृतिक कानूनों/सिद्धांतों** (प्रकृति के नियम) के बीच का अंतर गहन एवं ज्ञानवर्द्धक दोनों है। समाजों द्वारा तैयार किये गए मानवीय कानून, मानव समुदायों के बीच व्यवहार, संगठन और न्याय को नियंत्रित करते हैं। ये कानून परिवर्तनशील हैं, परिवर्तन के अधीन हैं, और प्रायः उस समय के प्रचलित नैतिक व नैतिक मानकों को दर्शाते हैं। दूसरी ओर, प्राकृतिक कानून **प्राकृतिक जगत** को नियंत्रित करने वाले अपरिवर्तनीय सिद्धांत हैं, जो भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अन्य विज्ञानों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। जबकि मनुष्य अपने स्वयं के कानूनों को चुनौती दे सकते हैं, बदल सकते हैं और कभी-कभी उनका उल्लंघन भी कर सकते हैं, तो वहीं प्राकृतिक कानून अपरिवर्तनीय एवं निरपेक्ष रहते हैं।

मानव कानून सामाजिक संरचनाएँ हैं जो व्यवस्था बनाए रखने, अधिकारों की रक्षा करने और समुदाय के भीतर न्याय को बढ़ावा देने के लिये बनाई गई हैं। ये कानून ऐतिहासिक संदर्भों, धार्मिक विश्वासों और सामाजिक मूल्यों द्वारा आकार लिये गए विभिन्न संस्कृतियों एवं युगों में काफी भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिये **विवाह, संपत्ति** और **व्यक्तिगत आचरण** से संबंधित कानून सदियों से नाटकीय रूप से विकसित हुए हैं। प्राचीन रोम, मध्ययुगीन यूरोप और आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों की कानूनी प्रणालियाँ प्रत्येक अपने अद्वितीय सांस्कृतिक संदर्भों एवं प्राथमिकताओं को दर्शाती हैं।

मानव कानून सुधारों और क्रांतियों के माध्यम से बदल सकते हैं। वे **विधायी संशोधनों, न्यायिक निर्णयों** और **सामाजिक बदलावों** के माध्यम से विकसित होते हैं। भारत में हाल ही में अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्त्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। तीन नए कानून,**भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** और **भारतीय साक्ष्य अधिनियम** ने औपनिवेशिक युग के कानूनों की जगह ली। इन परिवर्तनों का उद्देश्य न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाना और विभिन्न पहलुओं का प्रयास करना है।

आपराधिक मामले के फैसले मुकदमे के समाप्त होने के **45 दिनों के भीतर** सुनाए जाने चाहिये और **पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय** किये जाने चाहिये। कानून में एक नया अध्याय विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों को नियंत्रित करता है। बच्चे को खरीदना या बेचना एक जघन्य अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसके लिये कड़ी सजा दी जा सकती है।**नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार** के लिये **मौत की सजा या आजीवन कारावास** हो सकता है।

महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध के पीड़िताओं को 90 दिनों के भीतर अपने मामलों पर नियमित अपडेट प्राप्त करने का अधिकार है और अस्पतालों को उन्हें निशुल्क प्राथमिक चिकित्सा या चिकित्सा उपचार प्रदान करना चाहिये। अब घटनाओं की रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से की जा सकती है, जिससे पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। **ज़ीरो FIR** की शुरूआत से व्यक्तियों को प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मिलती है। भारत के कानूनी परिदृश्य को ऐतिहासिक मामलों ने आकार दिया है। कमांडर के. एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य मामला, 1959 ने जूरी प्रणाली को समाप्त कर दिया। **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015** , जो बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटता है, निर्भया मामले के परिणामस्वरूप लागू किया गया था।

इसके विपरीत, प्राकृतिक नियम भौतिक संसार को नियंत्रित करने वाले**मूलभूत सिद्धांत** हैं। **वैज्ञानिक अन्वेषण के माध्यम से खोजे गए** ये नियम **पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार, गति के सिद्धांतों, गुरुत्वाकर्षण बलों, ऊर्जा के संरक्षण** और भी **अनेक सिद्धांतों का वर्णन** करते हैं। मानवीय कानूनों के विपरीत, प्रकृति के नियम मानवीय इच्छा या सामाजिक परिवर्तनों के अधीन नहीं हैं, वे समय, स्थान या संस्कृति से परे अचर/अपरिवर्तित रहते हैं।

प्रकृति के नियम **मानवीय क्षमताओं की सीमाओं** और उन सीमाओं को निर्धारित करते हैं जिनके भीतर जीवन और पदार्थ संचालित होते हैं। उदाहरण के लिये गुरुत्वाकर्षण का **नियम ग्रहों की गति, पक्षियों की उड़ान** और **सेब के गिरने** पर लागू होता है। ऊष्मागतिकी के सिद्धांत सभी भौतिक और जैविक प्रक्रियाओं में **ऊर्जा का स्थानांतरण व परिवर्तन** को निर्धारित करते हैं। ये नियम/सिद्धांत अंतः क्रिया या परिवर्तन के अधीन नहीं हैं, बल्कि ये ब्रह्मांड के अंतर्निहित गुण हैं।

जबकि मानवीय कानून सामाजिक आचरण को नियंत्रित करते हैं, वे प्रायः प्राकृतिक सिद्धांतों के साथ टकराते हैं, विशेष रूप से**प्रौद्योगिकी, चिकित्सा** और **पर्यावरण नीति** जैसे क्षेत्रों में। प्रतिकूल परिणामों से बचने और सतत् प्रगति को बढ़ावा देने के लिये इन क्षेत्रों में प्राकृतिक सिद्धांतों

(प्रकृति के नियमों) को समझना और उनका पालन करना महत्वपूर्ण है।

मानव गतिविधियाँ वायुमंडल में **अत्यधिक ग्रीनहाउस गैसों** को मुक्त करना जारी रखती हैं। बढ़ते वैश्विक तापमान, चरम मौसमी घटनाओं और पिघलते हिम आवरणों के परिणाम पृथ्वी के सुभेद्य संतुलन को बनाये रखने के महत्त्व को रेखांकित करते हैं। **क्योटो प्रोटोकॉल** और उसके बाद के समझौतों का उद्देश्य उत्सर्जन को कम करना है, लेकिन संधारणीय प्रथाओं को प्राप्त करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। कृषि, शहरीकरण या निर्वनीकरण के लिये वनों की कटाई करने से पारिस्थितिकी तंत्र बाधित होता है। **जैव विविधता का ह्रास** न केवल पादपों और जीव-जंतुओं की प्रजातियों को प्रभावित करता है, बल्कि मानव कल्याण को भी प्रभावित करता है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिये **पुनर्वनीकरण और संरक्षण** जैसे प्रयास अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं।

मत्स्यन की सीमाओं की अनदेखी जैसी मत्स्यन की गैर-संधारणीय प्रथाओं की कारण से मीन प्रजातियों की संख्या में भारी कमी होती है जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचता है। मत्स्य पालन के पतन से खाद्य शृंखला और आजीविका बाधित हो सकती है। इंजीनियरिंग सिद्धांतों की अनदेखी करने से विनाशकारी विफलताएँ हो सकती हैं। अंतरिक्ष मिशन के परिणामस्वरुप मलबे उत्पन्न होते हैं जो पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करते रहते हैं। जिम्मेदार अंतरिक्ष प्रथाओं की अनदेखी करने से असंतुलन हो सकता है, जिससे उपग्रह और भविष्य के मिशन खतरे में पड़ सकते हैं।**अंतरिक्ष मलबे के शमन दिशा-निर्देश** (**Space Debris Mitigation Guidelines**) जैसी पहलों का उद्देश्य इस जोखिम को कम करना है।

चिकित्सा विज्ञान मानव और प्राकृतिक सिद्धांतों के समन्वय पर कार्य करता है। जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के सिद्धांत स्वास्थ्य एवं रोग के संदर्भ में हमारी समझ को रेखांकित करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स से लेकर सर्जिकल प्रक्रियाओं तक, चिकित्सा हस्तक्षेपों को प्रभावी होने के लिये इन सिद्धांतों के साथ संरेखित होना चाहिये। एंटीबायोटिक्स, टीके और आनुवंशिक उपचारों की खोज़ मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिये प्राकृतिक सिद्धांतों के सफल अनुप्रयोग को प्रदर्शित करती है।

भारतीय डॉक्टरों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो बेसिलर इनवेजिनेशन (एक ऐसी स्थिति जिसमें दूसरा ग्रीवा कशेरुक ऊपर की ओर बढ़ता है, जो संभावित रूप से **मस्तिष्क की कोशिकाओं** को संकुचित करता है) के उपचार के लिये वैश्विक मानक बन गई है। स्वास्थ्य सेवा और पुनर्योजी चिकित्सा में प्रगति ने त्वरित बग पहचान Quick Bug Identification) के लिये एक प्रणाली के विकास में सफलता हासिल की, जिससे **रोग निदान** एवं उपचार में सहायता मिली है। भारत में शोधकर्त्ताओं ने **आँखों के रंग को स्थायी रूप से बदलने के लिये** अभिनव तरीकों की खोज की है, जिसका **सौंदर्यशास्त्र** और **चिकित्सा स्थितियों** दोनों पर प्रभाव पड़ सकता है।

पर्यावरण नीति एक अन्य क्षेत्र है जहाँ मानव और प्राकृतिक सिद्धांतों एक दूसरे से जुड़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं जो **प्रजातियों, ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्रण के संतुलन** को निर्धारित करते हैं। इन सिद्धांतों की अवहेलना करने वाली**मानवीय गतिविधियाँ, जैसे निर्वनीकरण, प्रदूषण** और **अत्यधिक मत्स्यन** पारिस्थितिक संतुलन को बाधित करती हैं और पर्यावरणीय क्षरण का कारण बनती हैं। सतत् विकास के लिये ऐसी नीतियों की आवश्यकता होती है जो प्रकृति के नियमों का पालन करें और उनके दायरे में कार्य करें।

मानव इतिहास **प्राकृतिक सिद्धांतों की उपेक्षा के भयानक परिणामों** के उदाहरणों से भरा पड़ा है। पर्यावरणीय आपदाएँ, तकनीकी विफलताएँ और चिकित्सा संबंधी असफलताएँ अक्सर इन मूलभूत सिद्धांतों के प्रति समझ या इनके पालन की कमी के परिणामस्वरूप होती हैं। प्राकृतिक आपदाएँ पारिस्थितिक संतुलन का पालन करने और संधारणीय प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता की बहुत बड़ी चेतावनी के रूप में कार्य करती हैं। बाढ़ भारत में सबसे आम प्राकृतिक आपदा है। दक्षिण-पश्चिमी मानसून की भारी वर्षा के कारण ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ उफान पर आ जाती हैं, जिससे प्रायः आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण लाखों लोगों का विस्थापन हो सकता है, तथा चावल के खेतों की प्राकृतिक तौर सिंचाई के साथ उपज भी प्रभावित हो सकती है, लेकिन इसके कारण हज़ारों लोगों की जान भी जा सकती है। लगभग पूरा भारत बाढ़-प्रवण है, और बढ़ते तापमान के साथ-साथ अत्यधिक वर्षा की घटनाएँ आम हो गई हैं।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात विशेष रूप से हिंद महासागर के उत्तरी इलाकों में, विशेष रूप से**बंगाल की खाड़ी** के आसपास आम हैं। चक्रवात **तेज़ हवाएँ, तूफानी लहरें** और **भारी बारिश** लाते हैं जो प्रभावित क्षेत्रों को आपूर्ति और राहत से वंचित कर सकते हैं। चूँकि निचले हिमालय की पहाड़ियाँ बहुत छोटी हैं, इसलिये वहाँ की चट्टानी संरचनाओं के खिसकने की संभावना अधिक होती है, जिसके कारण प्रायः भूस्खलन होता है। वनों की कटाई और पर्यटन के कारण भूस्खलन की गंभीरता और भी बढ़ जाती है। **कश्मीर, हिमाचल प्रदेश** और **सिक्किम** जैसे क्षेत्रों में भी हिमस्खलन होता है।

मानवीय और प्राकृतिक सिद्धांतों के बीच अंतर को समझना भी एक नैतिक घटक है। मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह प्रकृति के नियमों का सम्मान करे, पालन करे और उसका संरक्षण करे। यह नैतिक दायित्व **पर्यावरणीय नैतिकता** में उजागर होता है, जो **पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता** और **प्राकृतिक संसाधनों के सतत् उपयोग की सुरक्षा** पर जोर देता है।

पर्यावरणीय नैतिकता प्रकृति के आंतरिक मूल्य और इसकी रक्षा करने के नैतिक दायित्व पर जोर देती है। यह नैतिक ढाँचा तर्क देता है कि मानवीय कार्यों से **पारिस्थितिक संतुलन** बाधित नहीं होना चाहिये या प्राकृतिक आवासों का क्षरण नहीं होना चाहिये। "सतत् विकास" की अवधारणा इस सिद्धांत को मूर्त रूप देती है, जो आर्थिक प्रगति का समर्थन करती है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता नहीं करती है।

जैव नैतिकता जैविक और चिकित्सा अनुसंधान एवं प्रथाओं के **नैतिक निहितार्थों से संबंधित** है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्राकृतिक चक्रों और प्रत्येक जीवित वस्तु के अंतर्निहित मूल्य का सम्मान करना कितना महत्त्वपूर्ण है। **आनुवंशिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग** और **इच्छामृत्यु** जैसे मुद्दे प्रकृति के नियमों के हेरफेर एवं मानवीय हस्तक्षेप की सीमाओं के बारे में गहन नैतिक प्रश्न उठाते हैं।

तकनीकी नैतिकता तकनीकी नवाचार के नैतिक आयामों और समाज एवं पर्यावरण पर इसके प्रभाव की जाँच करती है। यह**प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार उपयोग** का समर्थन करता है, यह सुनिश्चित करता है कि प्रगति नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप हो और नुकसान न पहुँचाए। उदाहरण के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास स्वायत्त प्रणालियों के नैतिक उपयोग और मानवीय मूल्यों एवं प्रकृति के नियमों के साथ उनके संरेखण के बारे में सवाल उठाता है।

मानव और प्राकृतिक नियमों के बीच का अंतर मानवीय स्थिति के एक बुनियादी पहलू को रेखांकित करता है: **कानूनों और विनियमों** के माध्यम से अपने समाजों

को आकार देने की हमारी क्षमता, जबकि साथ ही **प्रकृति के अपरिवर्तनीय नियमों से बंधे** रहना।

मानव कानून **न्याय, व्यवस्था और प्रगति** के लिये हमारी सामूहिक आकांक्षाओं को दर्शाते हैं, लेकिन वे स्वाभाविक रूप से त्रुटिपूर्ण और परिवर्तन के अधीन हैं। इसके विपरीत, प्राकृतिक कानून अपरिवर्तनीय सिद्धांत हैं जो भौतिक संसार के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। मानवीय नियमों को प्रकृति के नियमों के साथ जोड़कर और प्रकृति द्वारा निर्धारित सीमाओं का पालन करके इस संबंध को नेविगेट करने की हमारी क्षमता हमारे समाजों एवं पृथ्वी की भलाई के लिये आवश्यक है। यह समझ एक संतुलित दृष्टिकोण की मांग करती है जो मानव सरलता का प्रकृति के ज्ञान के साथ सामंजस्य स्थापित करती है, जिससे सभी के लिये एक स्थायी और नैतिक भविष्य सुनिश्चित होता है।

कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा ज़रूर दी जानी चाहिये।

—बी.आर. अंबेडकर

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/we-may-brave-human-laws-but-cannot-resist-natural-laws